फर्जी आइएसआइ मार्क का पाइप पकड़ा, कंपनी से मांगा जवाब

देहरादून, जागरण संवाददाता : भारतीय मानक ब्यूरो (बीआइएस) ने हरिद्वार की एक कंपनी पर छापा मारकर फर्जी आइएसआइ मार्क का पीवीसी पाइप पकड़ा। इस फर्जीवाड़े में कंपनी को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया गया है।

बीआइएस के वैज्ञानिक मो. रिजवान के अनुसार हरिद्वार के पुराने इंडस्ट्रियल एरिया में मारुति ट्रेडिंग कंपनी के खिलाफ पीवीसी पाइप में फर्जी आइएसआइ मार्क के प्रयोग की शिकायत मिली थी। छापा मारा गया तो पता चला कि कंपनी के पास बीआइएस का लाइसेंस ही नहीं है। जबकि कंपनी जिस पीवीसी पाइप की आपूर्ति कर रही थी, उस पर आइएसआइ मार्क का प्रयोग पाया गया। इस मार्क के आगे लाइसेंस नंबर भी नहीं दर्ज था, जबकि मार्क के साथ यह नंबर अनिवार्य होता है। कंपनी को नोटिस भेजकर पूछा गया है कि यह पाइप उसने कहां से खरीदे। यदि कंपनी किसी अन्य कंपनी का नाम बताती है तो उस पर भी छापेमारी की जाएगी। संतोषजनक जवाब न मिलने पर यह माना जाएगा कि मारुति ट्रेडिंग कंपनी ही फर्जीवाड़ा कर रही है। दोषी पाए जाने पर कंपनी संचालक को 50 हजार रुपये जुर्माना या एक साल की कैद या जुर्माना और सजा दोनों हो सकती है।

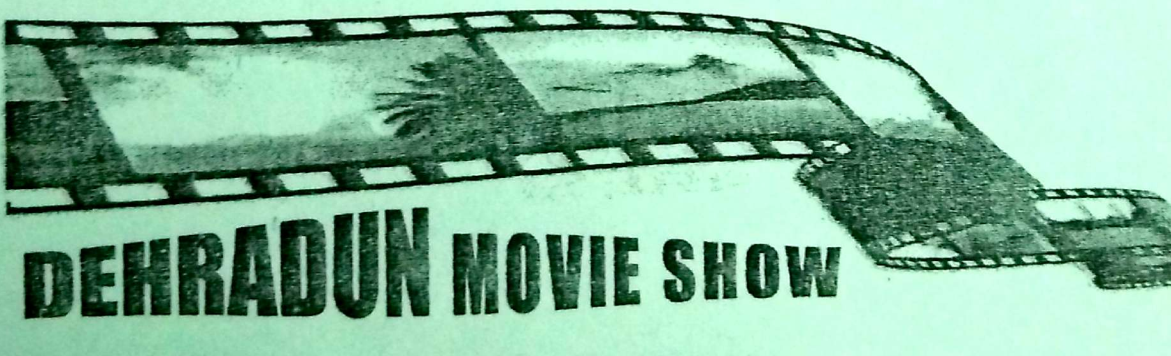

Scanned by CamScanner